

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....62...../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 14/2026/नि०सं०

श्री अनुभव नंदन त्यागी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया को वित्त विभाग के पत्रांक 9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में प्रथम संतान की देख-भाल करने हेतु दिनांक 07.01.2026 से 21.01.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजीत कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 14/2026/नि०सं० 369

दिनांक 10/2/26

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, अररिया/मुख्य अभियोजक, अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री अनुभव नंदन त्यागी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 14/2026/नि०सं० 369

दिनांक 10/2/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.2.26

उप सचिव।

Varahan